**भारत सरकार**

**रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय**

**औषध विभाग**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1131**

**दिनांक 16 अगस्‍त, 2013 को उत्‍तर दिए जाने के लिए**

**जन औषधि दुकानों का कार्यकरण**

**1131.डा.टी.सुब्बारामी रेड्डीः**

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत एक वर्ष के दौरान प्रत्येक जन औषधि दुकानों में दवाओं इत्यादि की माह-वार औसत मासिक

बिक्री कितनी हुई;

(ख) क्या सरकार देश में लघु और मध्यम क्षेत्र की इकाइयों से इन दुकानों हेतु दवाओं की खरीद के लिए

सार्वजनिक क्षेत्र की दवा इकाइयों के साथ वितरण नेटवर्क का विकास करने का विचार रखती है

ताकि सस्ते मूल्यों पर गुणवत्ता वाली दवाओं की उपलब्धता के आधार में वृद्धि की जा सके;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय ले लिए जाने की संभावना है?

**उत्‍तर**

**रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) तथा सांख्‍यिकी और कार्यक्रम कार्यान्‍वयन मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) (श्री श्रीकांत कुमार जेना)**

**(क):** सूचना अनुबंध में दी गई है।

**(ख) से (घ):** इस विभाग के विचाराधीन प्रस्‍ताव के अनुसार स्‍टोर स्‍तर पर 361 औषधियों की आपूर्ति सुनिश्‍चित की जाएगी। “नो स्‍टाक आउट” संबंधी स्‍थिति प्राप्‍त करने के लिए औषधियां सीपीएसयूज से ही नहीं अपितु लघु और मध्‍यम क्षेत्र सहित प्राइवेट क्षेत्र से भी प्राप्‍त करने का प्रस्‍ताव है।

\*\*\*\*\*\*